कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला–कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

(07836–232721 (कार्या.), 232722(फैक्स), (Email ID: Korea.cg@nic.in)

—::आदेश::—

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/05/2020

क्रमांक/3992/एस.डब्ल्यू./2020 ::—– कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1543/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 19.03.2020, क्रमांक/1583/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक/1696/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक/1886/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.04.2020, आदेश क्रमांक/3076/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 03.05.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी।

छत्तीसगढ़ शासन, गृह (सी–अनुभाग) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का अधिसूचना क्रं. एफ–4–59/गृह–सी/2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.05.2020 के द्वारा राज्य सरकार समस्त जिलों में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 144 (4) के परन्तुक में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य के समस्त जिला दंडाधिकारियों द्वारा पारित आदेश को उनके प्रवर्तन की अवसान स्थिति में निरंतरता में बनाये रखते हुए आगामी 03 माह तक यथावत रखने का निर्देश दिया गया है।

2– स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की हिदायत है। छ.ग. शासन द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे । यही कारण है कि (COVID-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है।

3– अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक बिमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला कोरिया में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि कोरिया जिले में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1543/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 19.03.2020, क्रमांक/1583/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक/1696/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक/1886/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.04.2020, आदेश क्रमांक/3076/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 03.05.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि की जावे।

यहॉ यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपातस्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि कोरिया जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कोरिया जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि करना उचित है।

4– अतः मैं डोमन सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरिया कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1543/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 19.03.2020, क्रमांक/1583/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक/1696/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक/1886/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.04.2020, आदेश क्रमांक/3076/एस.डब्ल्यू.

17/5/2020

Scanned with CamScanner

/2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 03.05.2020 द्वारा संपूर्ण कोरिया जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि करते हुए **दिनांक 16 अगस्त 2020 मध्यरात्रि 12.00 बजे** तक लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूँ। आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेगीं।

5– महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक/1564/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 21.03.2020, आदेश क्रमांक/1585/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 22.03.2020 , आदेश क्रमांक/1613/एस. डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 24.03.2020, आदेश क्रमांक/1696/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक /1823/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 08.04.2020, आदेश क्रमांक/2117/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 24.04.2020, आदेश क्रमांक/3195/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 05.05.2020, आदेश क्रमांक/3406/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 08.05.2020, आदेश क्रमांक/3496/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 10.04.2020, आदेश क्रमांक/3775/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.05.2020, आदेश क्रमांक/3862/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.05.2020 एवं आदेश क्रमांक/3989/एस. डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 17.05.2020 को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। अतः उक्त आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी, परन्तु जिलें में किसी भी क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र व संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत क्षेत्र हेतु जारी छूट एकपक्षीय निरस्त हो जायेगी।

यह आदेश कोरिया जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिये **दिनांक 16 अगस्त 2020 मध्यरात्रि 12.00 बजे** तक या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लघंन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 17.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

(डोमन सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छ0ग0)

पृ. क्रमांक/3993/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 17/05/2020

प्रतिलिपि :–

01– अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

02– प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

03– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

04– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

05– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

06– आयुक्त (रा0), सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

07– पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।

08– आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

Scanned with CamScanner

09— पुलिस अधीक्षक, कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ
11— अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12— अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13— सर्व मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14— सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
15— अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चिरमिरी/बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17— समस्त तहसीलदार एव नायब तहसीलदार जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
18— सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
19— आयुक्त, नगरपालिक निगम, चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
20— सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
21— जिला आबकारी अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
22— सर्व कार्यालय प्रमुख जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
23— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

जिला दण्डाधिकारी जिला कोरिया बैकुण्ठपुर (छ.ग.)

17/5/2020

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया, बैकु. (छ.ग.)

17/5/

Scanned with CamScanner